

क्रमांक:- एफ.2(4160) / डी.ओ.आई.टी. / संस्था / 14 / 02835/2019 जयपुर, दिनांक 19.07.2019

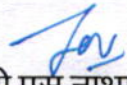
अनापत्ति प्रमाण पत्र

सुश्री अदिती भटनागर, सूचना सहायक ने निम्नलिखित प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रेषित किया है:-

क्र.सं.	प्रतियोगी परीक्षा का नाम	आयोजित करने वाली संस्था का नाम
1	IT OFFICER SCALE-II IN RRB	IBPS

सुश्री अदिती भटनागर, सूचना सहायक को उपर्युक्त प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र राजस्थान सिविल सेवाएँ (आचरण) नियम, 1971 के नियम-17 की निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

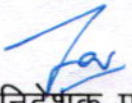
1. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
2. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
3. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हें परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
4. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
5. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
6. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
7. प्रशासनिक कारणोंवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
8. उक्त शर्तों की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क-3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।


(बी.एस.नाथावत)

तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. ✓ प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर को अपलोड करने हेतु।
2. सुश्री अदिती भटनागर, सूचना सहायक, कार्यालय सू. प्रौ. और संचार विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
3. निजी/रक्षित पत्रावली।


तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
आई.टी. भवन, योजना भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302005

क्रमांक एफ2(6579)सूप्रौ/संस्था/15/02831/2019

जयपुर, दिनांक : 19.07.2019

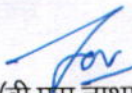
अनापत्ति प्रमाण पत्र

राजस्थान कम्प्यूटर अधीनस्थ सेवा के विभिन्न विभागों में कार्यरत/पदस्थापित सूचना सहायको को निम्नलिखित प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र राजस्थान सिविल सेवाएँ (आचरण) नियम, 1971 के नियम-17 की निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

क्र. स.	मेरिट न.	सूचना सहायक का नाम श्री/सुश्री/श्रीमती	पदस्थापित विभाग	परीक्षा का नाम
1	315	दीपक प्रजापति, सहायक प्रोग्रामर	कार्यालय सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।	1. RPSC द्वारा आयोजित RAS Pre and Main Exam-2018
2	2887	भावेश चावला, सूचना सहायक	कार्यालय परियोजना सीएससी 2.0 योजना, राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, चित्तौड़गढ़।	1. RPSC द्वारा आयोजित Sub Inspector Exam
3	3697	भीम राज सूचना सहायक	कार्यालय एनालिस्ट-कम -प्रोग्रामर (उपनिदेशक) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, पंचायत समिति बाडमेर, बाडमेर।	1. RPSC द्वारा आयोजित Assistant Statistical Officer Exam
4	1611	देवेंद्र शर्मा, सूचना सहायक	कार्यालय राजकॉम्प इन्फोसर्विसेज लिमिटेड, जयपुर।	1. RPSC द्वारा आयोजित RAS Exam
5	2461	देवेन्द्र कुमार वर्मा, सूचना सहायक	कार्यालय एनालिस्ट-कम -प्रोग्रामर (उपनिदेशक) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, पंचायत समिति सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर।	1. RSMSSB द्वारा आयोजित Junior Instructor Exam
6	432	गजेन्द्र सिंह नाथावत, सूचना सहायक	कार्यालय एनालिस्ट-कम -प्रोग्रामर (उपनिदेशक) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, पंचायत समिति आमेर, जयपुर।	1. RPSC द्वारा आयोजित ACF And Forest Range Officer Gr-I - 2018
7	3722	दुष्यंत कुमार, सूचना सहायक	कार्यालय एनालिस्ट-कम -प्रोग्रामर (उपनिदेशक) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जैसलमेर।	1. RRB BENGALURU द्वारा आयोजित Railway NTPC
8	1453	गौरव पाराशर, सूचना सहायक	कार्यालय एनालिस्ट-कम -प्रोग्रामर (उपनिदेशक) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, पंचायत समिति सेवर, भरतपुर।	1. RPSC द्वारा आयोजित Junior Engineer Exam
9	2898	दिनेश जलथुरिया, सूचना सहायक	राजकॉम्प इन्फोसर्विसेज लिमिटेड, जयपुर।	1. RPSC द्वारा आयोजित Vice Principal in ITI Exam
10	W-2125	दीपक कुमार फतुनिया, सूचना सहायक	कार्यालय एनालिस्ट-कम -प्रोग्रामर (उपनिदेशक) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, पंचायत समिति रायपुर, भीलवाड़ा।	1. DRDO द्वारा आयोजित DRDO STA Exam 2. BANK द्वारा आयोजित IBPS SO Exam

11	W-2196	दिनेश कुमार, सूचना सहायक (परिवीक्षाधीन)	कार्यालय एनालिस्ट-कम —प्रोग्रामर (उपनिदेशक) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, पंचायत समिति भीनमाल, जालौर।	1. RPSC द्वारा आयोजित RPSC 2nd Grade Exam
12	W-725	बृजमोहन यादव, सूचना सहायक	कार्यालय एनालिस्ट-कम —प्रोग्रामर (उपनिदेशक) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।	1. RSMSSB द्वारा आयोजित Investigator (Agriculture) Exam

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
5. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हें परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
6. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकारी नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
7. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
8. अध्ययन वर्ष में अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
10. प्रशासनिक कारणोंवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
11. उक्त शर्तों की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क-3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।


(बी.एस.नाथावत)

तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है।

1. सम्बंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....।
2. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर को अपलोड करने हेतु।
3. संबंधित कर्मचारी.....।
4. संबंधित निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

क्रमांक:- एफ.2(6921) / डी.ओ.आई.टी. / संस्था / 16/02804/2019

जयपुर, दिनांक 18.07.2019

अनापत्ति प्रमाण पत्र

श्री अनूप कुमार, सूचना सहायक ने निम्नलिखित प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रेषित किया है:-

क्र.सं.	प्रतियोगी परीक्षा का नाम	आयोजित करने वाली संस्था का नाम
1	Computer Operator Grade-B Comp. Exam, Station Master comp. Exam, Junior Executive(Air Traffic Control) Comp. Exam, PGT(Computer Science) Comp. Exam & Senior Technical Assistant Comp. Exam(DRDO)	UPPSC, RRB, AAI, KVS & DRDO

श्री अनूप कुमार, सूचना सहायक को उपर्युक्त प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र राजस्थान सिविल सेवाएँ (आचरण) नियम, 1971 के नियम-17 की निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन प्रदान की जाती है:-

1. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
2. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
3. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हें परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
4. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
5. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
6. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
7. प्रशासनिक कारणोंवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
8. उक्त शर्तों की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क-3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

(बी.एस.नाथावत)

तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. एसीपी(उपनिदेशक), कार्यालय एसीपी(उपनिदेशक), सू. प्रौ. और संचार विभाग, डूंगरपुर।
2. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर को अपलोड करने हेतु।
3. श्री अनूप कुमार, सूचना सहायक, कार्यालय एसीपी(उपनिदेशक), सू. प्रौ. और संचार विभाग, पंचायत समिति-बिच्छिवाडा, डूंगरपुर।
4. निजी/रक्षित पत्रावली।

तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव